उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
पत्रांकः 112/व0नि0स0–स0/चि0स्वा0 एवं चि0शि0/2022
देहरादूनः दिनांक– 22 दिसम्बर 2022

जिला अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

विषय : कोविड–19 वैरिएंट सम्बन्धित बचाव एवं नियंत्रण तैयारियों विषयक।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या D.O No. Z.28015/182/2021-DMCell दिनांक 20.12.2022 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में विश्व के कई देशों यथा जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में कोविड–19 रोगीयों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है। कोविड–19 महामारी अभी भी दुनिया भर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है।

कोविड–19 वायरस के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है एवं समय–समय पर नये वैरिएंट एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित होते रहते हैं, अतः मौजूदा वेरिएंट की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कोविड–19 के संदिग्ध और पुष्ट मामलों को शीघ्र चिन्हित करने, आइसोलेशन, परीक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा जून 2022 में Operational Guidelines for Revised Surveillance Strategy in Context of COVID-19 जारी की गयी थी (संलग्न)।

उपरोक्तानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत निर्देशों के क्रम में आगामी माहों में शीत ऋतु के आगमन के साथ ही कोविड–19 वैरिएंट के साथ विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों जैसे Influenza like illness (ILI)/Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के संक्रमण प्रसारित होने की संभावना बढ़ जाती है।

अतः उपरोक्त के क्रम में कोविड–19 एवं अन्य श्वसन तंत्र सम्बंधित रोगों (ILI/SARI) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करें –

1. चिकित्सालयों में आने वाले सभी Influenza like Illness (ILI)/Severe Acute Respiratory Illness (SARI) के रोगियों की कोविड–19 जांच की जाये एवं उक्त सभी रोगियों का विवरण अनिवार्य रूप से आई0डी0एस0पी0 के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।
2. आम जनमानस में कोविड–19 से बचाव हेतु कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। त्योहारों के सीजन में भीड–भाड वाले स्थानो पर लोगो को मास्क का उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।
3. भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड–19 टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया जाये। पूर्ण कोविड–19 टीकाकरण के लिए आम जनता को नियमित रूप से प्रेरित करने हेतु जागरूकता की जाये। हाई रिस्क आबादी में अनिवार्य रूप से टीकाकरण पूर्ण किया जाये।
4. चिकित्सा ईकाइयों में कोविड–19 संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन सिलेण्डर, आक्सीजन कसंनट्रेटर, आक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आई०सी०यू० बेड एवं आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों में स्थापित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये।
5. दैनिक रूप से राजकीय एवं निजी चिकित्सा इकाईयों में कोविड–19 संक्रमित भर्ती रोगियों की सूचना प्राप्त की जाये एवं रोगियों के स्वास्थ्य दशा की निरन्तर निगरानी करते हुये समीक्षा की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोविड–19 संक्रमित रोगियों को ससमय पूर्ण उपचार प्राप्त हो।

Scanned by CamScanner

6. हल्के लक्षण वाले कोविड–19 संक्रमित रोगियों को होम आईसोलेशन में ही उपचार प्रदान किया जाये एवं निरन्तर उनके स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी की जाये। ऐसे रोगियों में किसी भी प्रकार के गम्भीर लक्षण होने पर शीघ्र हीं उन्हें सम्बन्धित चिकित्सालय में संदर्भित किया जाये।
7. कोविड–19 जॉच हेतु आई०सी०एम०आर०, भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाये।
8. समुदाय स्तर पर यदि किसी जगह कोविड–19, फीवर अथवा ILI/SARI केस की क्लस्टरिंग मिलती है तो वहां पर त्वरित जांच सुविधा की उपलब्धता एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाये।
9. कोविड–19 जॉच में RTPCR द्वारा पॉजिटिव पाए गए सभी रोगियों के सैंपल Whole Genome Sequence (WGS) जांच हेतु राजकीय दून मेडिकल कॉलेज को प्रेषित किये जाएं एवं WGS जांच हेतु प्रेषित सभी सैंपलों की सूचना अनिवार्य रूप से आई0डी0एस0पी0 के अंतर्गत Integrated Health Information Platform (IHIP) पोर्टल में प्रविष्ट किया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी,, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव

Scanned by CamScanner